AMOGHVARTA
ISSN : 2583-3189

लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं की सहभागिताः संरचनात्मक बाधाएँ और संभावनाएँ

ORIGINAL ARTICLE

Author
प्रदीप कुमार
शोध छात्र
राजनीति विज्ञान विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत

शोध सार

प्रस्तुत शोध–पत्र लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं की सहभागिता की स्थिति, उसके ऐतिहासिक विकास, संरचनात्मक बाधाओं तथा उभरती संभावनाओं का समग्र विश्लेषण करता है। अध्ययन का मूल प्रतिपाद्य यह है कि लोकतंत्र की वास्तविक सुदृढ़ता तभी संभव है जब महिलाओं की भागीदारी केवल औपचारिक न रहकर निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में सार्थक रूप से स्थापित हो। शोध में सहभागी एवं प्रतिनिधि लोकतंत्र की सैद्धांतिक व्याख्याओं के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि लैंगिक समानता लोकतांत्रिक शासन का अनिवार्य तत्व है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि संवैधानिक प्रावधानों, आरक्षण व्यवस्था तथा संस्थागत सुधारों के बावजूद पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक दलों में असमानता और हिंसा जैसी बाधाएँ महिलाओं की प्रभावी राजनीतिक सहभागिता को सीमित करती हैं साथ ही, शोध यह भी दर्शाता है कि जब महिलाएँ शासन में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, तो पारदर्शिता, जवाबदेही और कल्याणकारी नीतियों में सकारात्मक सुधार देखने को मिलता है। अतः महिलाओं की सहभागिता लोकतांत्रिक वैधता और सुशासन को सुदृढ़ करने का एक आवश्यक आधार है।

मुख्य शब्द

लोकतंत्र, महिला, शासन, समानता.

परिचय

लोकतंत्र को सामान्यतः "जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन" के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य केवल सत्ता के चयन तक सीमित न होकर नागरिकों की सार्थक सहभागिता, समान प्रतिनिधित्व और निर्णय–प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसी संदर्भ में सहभागी शासन (Participatory Governance) का सिद्धांत लोकतंत्र को अधिक जीवंत और उत्तरदायी बनाता है, जहाँ समाज के सभी वर्ग विशेषतः ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। महिलाओं की सहभागिता इसी सहभागी लोकतंत्र की कसौटी मानी जाती है। लोकतांत्रिक शासन में लैंगिक समानता केवल नैतिक या सामाजिक प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता और वैधता से जुड़ा एक मूलभूत तत्व है। यदि समाज की आधी आबादी नीति–निर्माण और सत्ता संरचनाओं में सीमित भूमिका निभाती है, तो लोकतंत्र अपने समावेशी चरित्र को खो देता है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता न केवल प्रतिनिधित्व को संतुलित करती है, बल्कि शासन को अधिक

संवेदनशील, उत्तरदायी और कल्याणकारी भी बनाती है।

ऐतिहासिक दृष्टि से, विश्व स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार सहज रूप से प्राप्त नहीं हुए। मताधिकार आंदोलनों, नारीवादी संघर्षों और अंतरराष्ट्रीय पहलोंकृजैसे ब्म्क्ॅकृके माध्यम से महिलाओं ने सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्थान अर्जित किया। भारतीय संदर्भ में भी स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के बावजूद, स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक उनकी राजनीतिक सहभागिता सीमित रही। यद्यपि संविधान ने समानता का अधिकार प्रदान किया, परंतु वास्तविक भागीदारी धीरे–धीरे विकसित हुई, विशेषतः पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण के बाद। यहाँ औपचारिक लोकतंत्र और वास्तविक सहभागिता के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। केवल संवैधानिक अधिकारों की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है; सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत संरचनाएँ महिलाओं की प्रभावी सहभागिता को अक्सर बाधित करती हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में यह शोध विषय अत्यंत प्रासंगिक है। समावेशी लोकतंत्र और सुशासन (Good Governance) की अवधारणाएँ तभी साकार हो सकती हैं, जब महिलाएँ निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में समान भागीदार हों। प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं की सहभागिता की स्थिति का विश्लेषण करना, संरचनात्मक बाधाओं की पहचान करना तथा भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित करना है। शोध की संरचना सैद्धांतिक, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को समाहित करते हुए विषय की समग्र समझ प्रस्तुत करती है।

लोकतांत्रिक शासन और महिला सहभागिताः सैद्धांतिक आधार

लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा केवल सत्ता के चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की निरंतर सहभागिता, समान प्रतिनिधित्व और उत्तरदायी शासन पर आधारित है। राजनीतिक सिद्धांतों में लोकतंत्र की विभिन्न व्याख्याएँ प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें प्रतिनिधि लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र प्रमुख हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेते हैं, जहाँ चुनावी प्रक्रिया केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह मॉडल आधुनिक राष्ट्र–राज्यों में व्यावहारिक माना जाता है, किंतु इसमें महिलाओं और अन्य वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व प्रायः असमान रहता है।

इसके विपरीत, सहभागी लोकतंत्र नागरिकों की प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। यह सिद्धांत मानता है कि लोकतंत्र तभी सशक्त होता है जब नागरिक विशेषतः महिलाएँ नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में निरंतर रूप से सम्मिलित हों। महिला सहभागिता इस दृष्टिकोण में लोकतांत्रिक समावेशन की अनिवार्य शर्त बन जाती है। लोकतंत्र को लैंगिक दृष्टिकोण से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि पारंपरिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों ने लंबे समय तक सत्ता और राजनीति को लैंगिक रूप से तटस्थ मान लिया, जबकि वास्तविकता में सत्ता संरचनाएँ पितृसत्तात्मक रही हैं। नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत इसी असंतुलन को उजागर करता है। यह सिद्धांत सत्ता, प्रतिनिधित्व और नीति निर्माण में लैंगिक असमानताओं की आलोचनात्मक समीक्षा करता है तथा महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया का केंद्रीय घटक मानता है। Gender and Power की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि राजनीतिक शक्ति केवल संस्थागत नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों से भी निर्मित होती है, जो महिलाओं की सहभागिता को सीमित या सक्षम बना सकती है।

राजनीतिक सहभागिता के आयामों में मतदान, चुनाव लड़ना, नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी शामिल हैं। महिलाओं की सहभागिता यदि केवल मतदान तक सीमित रह जाए, तो वह प्रतीकात्मक बन जाती है। वास्तविक लोकतांत्रिक सहभागिता तब संभव होती है, जब महिलाएँ नीति निर्धारण और शासन के निर्णयों में प्रभावी भूमिका निभाएँ।

इस संदर्भ में महिला सशक्तिकरण और शासन के बीच गहरा संबंध स्थापित होता है। सशक्त महिलाएँ न केवल लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाती हैं, बल्कि शासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय को भी सुदृढ़ करती हैं। अतः सैद्धांतिक दृष्टि से महिला सहभागिता लोकतांत्रिक शासन की अनिवार्य आधारशिला के रूप में उभरती है।

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का ऐतिहासिक विकास

वैश्विक परिप्रेक्ष्यः महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का इतिहास संघर्ष, आंदोलन और क्रमिक उपलब्धियों की कहानी है। प्रारंभिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया और राजनीति को पुरुषों का क्षेत्र माना गया। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में महिला मताधिकार आंदोलन ने इस स्थिति को चुनौती दी। ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड और यूरोपीय देशों में हुए इन आंदोलनों के परिणामस्वरूप महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, जिसने लोकतांत्रिक शासन की परिभाषा को व्यापक बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया तेज हुई। संयुक्त राष्ट्र ने लैंगिक समानता को मानवाधिकारों के केंद्र में रखा।

1979 में अंगीकृत CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज़ है। इसके अंतर्गत सदस्य देशों से यह अपेक्षा की गई कि वे राजनीति और शासन में महिलाओं की समान सहभागिता सुनिश्चित करें। इसी क्रम में सतत् विकास लक्ष्य–5 (SDG–5) लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को वैश्विक विकास एजेंडा का अभिन्न अंग बनाता है। वर्तमान में विभिन्न देशों में महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति असमान है। कुछ देशों जैसे नॉर्डिक राष्ट्रों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि अनेक विकासशील देशों में यह अभी भी सीमित बनी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि औपचारिक लोकतांत्रिक ढाँचे के बावजूद सामाजिक और संस्थागत कारक निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्यः भारतीय संदर्भ में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की जड़ें स्वतंत्रता आंदोलन में निहित हैं, जहाँ महिलाओं ने सत्याग्रह, असहयोग और क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान नागरिक के रूप में मान्यता दी। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी प्रदान करता है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को संस्थागत रूप से सशक्त करने में 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन निर्णायक सिद्ध हुए, जिनके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया। इससे स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व का विस्तार हुआ। हालांकि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व अब भी अपेक्षाकृत कम है, जो यह दर्शाता है कि ऐतिहासिक प्रगति के बावजूद वास्तविक समानता की दिशा में निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं की सहभागिता की वर्तमान स्थिति

वर्तमान वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं की सहभागिता को एक विकासशील किंतु असंतुलित प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। बीते कुछ दशकों में महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति में वृद्धि अवश्य हुई है, परंतु यह वृद्धि मुख्यतः औपचारिक भागीदारी तक सीमित रही है। वास्तविक सत्ता–साझेदारी और प्रभावी निर्णय–निर्माण में महिलाओं की भूमिका अब भी अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई है। चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी मतदाता के रूप में उल्लेखनीय रूप से सशक्त हुई है। अनेक लोकतांत्रिक देशों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के बराबर या कई बार अधिक हो गई है। भारत में भी हाल के चुनावों में महिला मतदान प्रतिशत में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जो राजनीतिक जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। हालांकि, उम्मीदवार और निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की भागीदारी अब भी सीमित है। राजनीतिक दलों द्वारा टिकट वितरण में महिलाओं को अपेक्षित अवसर नहीं दिए जाते, जिससे चुनावी राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व अनुपातहीन बना रहता है। शासन के स्थानीय स्तर पर महिलाओं की सहभागिता सबसे अधिक सशक्त रूप में दिखाई देती है। पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में आरक्षण व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में महिलाएँ पहली बार सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर सकी हैं। इस स्तर पर महिलाओं ने जल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों को शासन के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यद्यपि कुछ स्थानों पर प्रतीकात्मक नेतृत्व या 'प्रतिनिधि के स्थान पर प्रतिनिधित्व' जैसी समस्याएँ देखी जाती हैं, फिर भी स्थानीय लोकतंत्र में महिला सहभागिता को एक सकारात्मक उपलब्धि माना जाता है। राज्य स्तर पर महिलाओं की सहभागिता अपेक्षाकृत सीमित और असमान है। राज्य विधानसभाओं और मंत्रिमंडलों में महिलाओं की संख्या बढ़ी तो है, परंतु यह अब भी जनसंख्या के अनुपात में अत्यंत कम है। नीति निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका प्रायः सहायक या गौण मानी जाती है, जिससे उनकी राजनीतिक प्रभावशीलता सीमित हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर संसद में महिला प्रतिनिधित्व में धीरे–धीरे सुधार हुआ है, किंतु इसे अब भी लोकतांत्रिक समावेशन के आदर्श मानकों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। संसद की प्रमुख समितियों, रणनीतिक मंत्रालयों और निर्णयकारी मंचों में महिलाओं की उपस्थिति सीमित रहती है, जो सत्ता संरचनाओं में व्याप्त लैंगिक असंतुलन को दर्शाती है। नीति–निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि उन्हें प्रायः सामाजिक और कल्याणकारी क्षेत्रों तक सीमित रखा जाता है।

इसके बावजूद, हाल के वर्षों में कुछ महिला नेताओं ने रक्षा, विदेश नीति, वित्त और प्रशासनिक सुधार जैसे क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाई है। ऐसे महिला नेतृत्व के उदाहरण इस धारणा को चुनौती देते हैं कि महिलाएँ केवल सीमित नीतिगत क्षेत्रों तक ही उपयुक्त हैं। सांख्यिकीय और प्रवृत्तिगत विश्लेषण यह दर्शाता है कि जहाँ संवैधानिक समर्थन, आरक्षण व्यवस्था और संस्थागत प्रोत्साहन उपलब्ध हैं, वहाँ महिला सहभागिता में अपेक्षाकृत अधिक प्रगति हुई है। फिर भी, यह प्रगति क्षेत्रीय, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर असमान बनी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान स्थिति सुधार की दिशा में अग्रसर तो है, परंतु लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं की वास्तविक और प्रभावी सहभागिता अभी भी एक अधूरा लक्ष्य है।

महिलाओं की सहभागिता में संरचनात्मक बाधाएँ

लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं की सहभागिता के मार्ग में अनेक संरचनात्मक बाधाएँ विद्यमान हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ढाँचों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये बाधाएँ केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि संस्थागत रूप से महिलाओं की राजनीतिक भूमिका को सीमित करती हैं।

- **सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएँ:** सबसे प्रमुख बाधा पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना है, जिसमें राजनीति और सत्ता को पारंपरिक रूप से पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है। इस मानसिकता के अंतर्गत महिलाओं से घरेलू भूमिकाओं में सीमित रहने की अपेक्षा की जाती है। लैंगिक रूढ़ियाँ और सामाजिक अपेक्षाएँ महिलाओं की नेतृत्व क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं और सार्वजनिक जीवन में उनकी सक्रियता को अस्वाभाविक माना जाता है। इसके साथ ही, घरेलू दायित्वों का असमान बोझकृजैसे परिवार, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल महिलाओं के पास राजनीति के लिए समय, ऊर्जा और निरंतरता की कमी उत्पन्न करता है।
- **आर्थिक बाधाएँ:** राजनीति संसाधन–सघन क्षेत्र है, जहाँ आर्थिक संसाधनों की कमी महिलाओं के लिए एक गंभीर अवरोध बनती है। चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक धन, प्रचार और संगठनात्मक ढाँचे तक महिलाओं की पहुँच सीमित रहती है। चुनावी खर्च की बढ़ती प्रवृत्ति महिलाओं को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देती है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक निर्भरता महिलाओं की स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय क्षमता को भी प्रभावित करती है।
- **राजनीतिक–संस्थागत बाधाएँ:** राजनीतिक संस्थाओं के भीतर व्याप्त पुरुष प्रभुत्व महिलाओं की सहभागिता को औपचारिक स्तर तक सीमित कर देता है। राजनीतिक दलों में निर्णयकारी पदों पर महिलाओं की संख्या कम रहती है। टिकट वितरण में भेदभाव एक प्रमुख समस्या है, जहाँ योग्य महिला उम्मीदवारों की तुलना में पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही, दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव महिलाओं के उभार को और अधिक कठिन बना देता है।
- **शैक्षिक एवं सूचना संबंधी बाधाएँ:** कई क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता की कमी और शासन प्रक्रियाओं की सीमित जानकारी महिलाओं की सक्रिय सहभागिता में बाधा बनती है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण और

क्षमता निर्माण के अवसरों का अभाव महिलाओं को प्रभावी राजनीतिक भूमिका निभाने से रोकता है।

- **हिंसा और सुरक्षा संबंधी बाधाएँ:** राजनीतिक जीवन में हिंसा, धमकी और साइबर उत्पीड़न महिलाओं के लिए एक गंभीर चुनौती है। सार्वजनिक जीवन में असुरक्षा की भावना अनेक महिलाओं को राजनीति से दूर रहने के लिए विवश करती है। इस प्रकार, महिलाओं की सहभागिता में संरचनात्मक बाधाएँ बहुआयामी हैं, जिन्हें दूर किए बिना लोकतांत्रिक शासन में वास्तविक लैंगिक समानता संभव नहीं हो सकती।

लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं की सहभागिता की संभावनाएँ

लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं की सहभागिता की संभावनाएँ वर्तमान समय में पहले की तुलना में अधिक व्यापक और सशक्त रूप में उभर रही हैं। संवैधानिक संरक्षण, संस्थागत सुधार, सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक–तकनीकी विकास ने मिलकर महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में नए अवसर सृजित किए हैं:

- **संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:** संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार और आरक्षण व्यवस्था महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को संस्थागत समर्थन प्रदान करती है। स्थानीय शासन में आरक्षण ने यह प्रमाणित किया है कि संरचनात्मक अवसर मिलने पर महिलाएँ नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम हैं। इसी क्रम में महिला आरक्षण विधेयक को प्रतिनिधि लोकतंत्र में लैंगिक असंतुलन को दूर करने के एक महत्त्वपूर्ण उपाय के रूप में देखा जाता है। यह विधेयक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की संभावना रखता है, यद्यपि इसके क्रियान्वयन और प्रभावशीलता को लेकर निरंतर विमर्श आवश्यक है।
- **संस्थागत सुधार:** राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला होते हैं। यदि दलों के भीतर लैंगिक समानता को प्रोत्साहन दिया जाए और महिलाओं को निर्णयकारी पदों पर स्थान मिले, तो उनकी सहभागिता स्वाभाविक रूप से सुदृढ़ होगी साथ ही, आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना जैसे पारदर्शी टिकट वितरण और नेतृत्व चयन महिलाओं के राजनीतिक उभार के लिए आवश्यक है।
- **सामाजिक परिवर्तन:** शिक्षा और जागरूकता महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत बनाती है। मीडिया की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वह महिला नेतृत्व की सकारात्मक छवि प्रस्तुत कर सामाजिक दृष्टिकोण को बदल सकता है। इसके अतिरिक्त, नागरिक समाज और स्वयंसेवी संगठन प्रशिक्षण, नेटवर्किंग और समर्थन प्रदान कर महिलाओं की राजनीतिक क्षमता को विकसित करते हैं।
- **आर्थिक और तकनीकी अवसर:** आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को राजनीतिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। वहीं, डिजिटल लोकतंत्र और सोशल मीडिया जैसे वैकल्पिक राजनीतिक मंच पारंपरिक बाधाओं को कम कर महिलाओं को अपनी आवाज़ सीधे जनता तक पहुँचाने का अवसर देते हैं। इस प्रकार, ये सभी तत्व मिलकर लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं की सहभागिता की संभावनाओं को व्यापक बनाते हैं।

महिला सहभागिता और सुशासन के बीच संबंध

महिला सहभागिता और सुशासन (Good Governance) के बीच घनिष्ठ एवं परस्पर पूरक संबंध पाया जाता है। सुशासन का मूल उद्देश्य प्रभावी, उत्तरदायी और समावेशी शासन व्यवस्था की स्थापना करना है, जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस दृष्टि से महिला सहभागिता शासन की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बनती है। महिला नेतृत्व और नीति परिणामों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की भागीदारी से नीतियों में सामाजिक संवेदनशीलता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण का समावेश होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महिला नेतृत्व ने नीतिगत परिणामों को अधिक प्रभावी बनाया है। इससे शासन का मानवीय और कल्याणकारी पक्ष सशक्त होता है।

महिला सहभागिता पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देती है। कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि महिलाओं की उपस्थिति से निर्णय–प्रक्रिया में अधिक परामर्श, नैतिकता और उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति विकसित होती है। इससे सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की संभावनाएँ कम होती हैं। इसके अतिरिक्त, महिला नेतृत्व के विस्तार

से कल्याणकारी नीतियों में सुधार देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाएँ समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों की आवश्यकताओं को अधिक निकटता से समझती हैं। इससे शासन अधिक जन–केंद्रित बनता है। अंततः, महिलाओं की सक्रिय सहभागिता से लोकतांत्रिक वैधता और समावेशन सुदृढ़ होता है। जब समाज की आधी आबादी निर्णय–निर्माण में भागीदार होती है, तब लोकतंत्र अधिक प्रतिनिधिक, संतुलित और प्रभावी बनता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध के माध्यम से लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं की सहभागिता की स्थिति, उससे जुड़ी बाधाओं तथा संभावनाओं का समग्र विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र की औपचारिक संरचना में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं, किंतु व्यवहारिक स्तर पर उनकी सहभागिता अभी भी सीमित और असंतुलित बनी हुई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल संवैधानिक प्रावधान लोकतांत्रिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। शोध यह दर्शाता है कि महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जहाँ महिलाओं की भागीदारी सशक्त रही है, वहाँ शासन अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। स्थानीय स्वशासन में आरक्षण व्यवस्था के अनुभव से यह प्रमाणित होता है कि संरचनात्मक अवसर मिलने पर महिलाएँ न केवल नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं, बल्कि नीति–निर्माण को अधिक जन–केंद्रित भी बनाती हैं। इसके साथ ही, अध्ययन यह भी रेखांकित करता है कि पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक संस्थाओं में पुरुष प्रभुत्व, प्रशिक्षण और संसाधनों का अभाव तथा हिंसा और असुरक्षा जैसी समस्याएँ महिलाओं की प्रभावी सहभागिता में गंभीर अवरोध उत्पन्न करती हैं। ये बाधाएँ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि गहराई से संस्थागत हैं, जिनके समाधान के लिए बहुआयामी और दीर्घकालिक प्रयास आवश्यक हैं।

अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महिलाओं की समान और प्रभावी सहभागिता के बिना लोकतंत्र न तो पूर्णतः समावेशी हो सकता है और न ही सुशासन की अवधारणा साकार हो सकती है। अतः लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में वास्तविक भागीदार बनाया जाए। यही एक सशक्त, न्यायपूर्ण और समावेशी लोकतंत्र की आधारशिला है।

संदर्भ सूची

1. जयपालन, एन. (2014) *भारतीय राजनीतिक व्यवस्था.* अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
2. शर्मा, आर. सी. (2016) *भारतीय लोकतंत्र और महिला सशक्तिकरण.* राज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
3. वर्मा, एस. पी. (2018) *पंचायती राज और महिला सहभागिता.* काशी प्रकाशन, वाराणसी।
4. Jayal, N. G. (2006) *Democracy and the state: Welfare, secularism and development in contemporary India.* Oxford University Press, New Delhi.
5. Krook, M. L. (2010) *Quotas for women in politics: Gender and candidate selection reform worldwide.* Oxford University Press, New York.
6. United Nations Development Programme (2016) Human development report: Gender equality and women's empowerment. UNDP, New York.

——==00==——